अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.1 लेखाकरण पद्धति

निदेशक, शहरी विकास द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को लेखाकरण की दो बार प्रविष्ट पद्धति अपनाने का निर्देश दिया गया था (अप्रैल 2009)। वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने अपने लेखे दो बार प्रविष्टि पद्धति के अनुसार अनुरक्षित किए हैं।

4.1.1 लेखाओं को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 252 के अनुसार नगरपालिका की आय व व्यय के लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार रखे जाएंगे। नगरपालिका वित्त वर्ष की समाप्ति से अधिकतम 30 मास की अवधि के भीतर उस वर्ष हेतु लेखे तैयार करेगी।

दो शहरी स्थानीय निकायों[15] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे, जबकि इन लेखे को नगरपालिका के निर्वाचित सदन द्वारा तैयार कराए जाने और मंजूर कराए जाने की आवश्यकता थी। सचिव/अधिशाषी अधिकारी ने बताया (फरवरी 2017) कि भविष्य में वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किए जाएगें।

4.2 बजट आकलन

4.2.1 अपेक्षित व्यय का आकलन किए बिना बजट तैयार करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित आय व व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित फार्म में तैयार किए जाने होते हैं और समिति के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति के सदन द्वारा बजट पारित किए जाने के पश्चात इसे अनुमोदन हेतु निदेशक, शहरी विकास के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2013-16 के दौरान नमूना जांच की गई नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा बजट प्रावधान तथा व्यय की वर्ष-वार स्थिति **तालिका-13** में दी गई है।

तालिका-13: 16 नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में बजट आकलन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	बचत का *प्रतिशत*
2013-14	275.47	118.56	156.91 (-)	57
2014-15	263.04	129.93	133.11 (-)	51
2015-16	269.95	184.16	85.79 (-)	32

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति **परिशिष्ट-18** में दी गई है।

तालिका-13 से स्पष्ट है कि बजट आकलन व्यवहारिक रूप में तैयार नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-16 के दौरान 32 से 57 *प्रतिशत* तक नियमित बचतें हुई। शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया (मार्च 2017) कि शहरी स्थानीय निकायों को भविष्य में अपने बजट व्यवहारिक रूप में तैयार करने हेतु निदेश दिए जा रहे हैं।

4.3 बैंक मिलान विवरणियां तैयार न करना

राज्य नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के नियम 19(2) के अनुसार प्रत्येक दिन अधिशाषी अधिकारी द्वारा सामान्य रोकड़ बही मदवार जांची, बंद और हस्ताक्षरित की जाएगी। महीने के अंत पर इसे बैंक पासबुक के साथ मिलाया जाएगा। प्राप्ति एवं व्यय

15 नगर निगम: शिमला तथा नगर पंचायत: जोगिन्द्रनगर।

की प्रत्येक मद की रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों के साथ जांच की जाएगी और अंतरों का सामान्य रोकड़ बही में लेखाबद्ध तथा उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

नगर परिषद[16] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर रोकड़ बहियों तथा बैंक पासबुकों के मध्य ₹ 15.90 करोड़ का अंतर था जिसका जनवरी 2017 तक नगर परिषद द्वारा मिलान नहीं किया गया था। बैंक विवरणियों के साथ मिलान नहीं किये जाने से लेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2017) कि भविष्य में अंतरों का मिलान किया जाएगा।

4.4 सामग्रियों का गैर-लेखाकरण

नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब द्वारा ₹ 2.84 लाख की सामग्री स्टॉक पंजिका में लेखांकित नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, खंड-1 का नियम 15.4(क) प्रावधान करता है कि जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी जिसे देखना चाहिए कि मात्रा सही है और गुणवत्ता उत्तम है, द्वारा समस्त प्राप्त की गई सामग्री की डिलिवरी लेते समय जांच, गणना, माप, तोल, जैसा भी मामला हो, किया जाना चाहिए। सामग्री की प्राप्ति का एक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना है और यथोचित पंजिका में प्रविष्टि की जानी है।

नगरपालिका परिषद, पांवटा साहिब के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 2.84 लाख की लागत से खरीदी गई 960 सीमेंट की बोरियों को सम्बंधित स्टोर/स्टॉक पंजिका में लेखांकित नहीं किया गया था। अत: चोरी/हानि की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह नगरपालिका परिषद के पक्ष पर खराब अभिलेख अनुरक्षण का द्योतक भी था। प्रत्युत्तर में सम्बंधित नगरपालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2016) कि स्टॉक पंजिकाओं में सम्बंधित प्रविष्टियां की जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित नगरपालिका परिषद द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी नहीं रखी जा रही थी।

4.5 राजस्व

4.5.1 बकाया गृह कर

निष्प्रभावी अनुश्रवण के कारण 12 शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर के आधार पर ₹ 8.11 करोड़ का राजस्व बकाया था।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 का नियम 258(2) अनुबद्ध करता है कि नगरपालिका को देय राशि का 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए था जिसमें विफल रहने पर राशि की, समस्त लागत सहित, चूककर्त्ता की सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्रय द्वारा वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 01 अप्रैल 2015 तक 12 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 07.46 करोड़ का गृहकर बकाया था। वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 4.00 करोड़ के गृहकर की मांग उठाई गई थी **(परिशिष्ट-19)**। जिसके एवज में ₹ 3.34 करोड़ की वसूली की गई और ₹ 0.01 करोड़ की छूट भी दी गई थी, इस प्रकार मार्च, 2016 तक इन 12 शहरी स्थानीय निकायों से ₹ 8.11 करोड़ कुल राजस्व गृहकर के अंतर्गत शेष बकाया था।

नगरपालिका परिषद, नाहन के बकाया गृहकर नमूना जांच के दृष्टिगत पाया गया कि वर्ष 2001-16 की अवधि में 42 घरों ने ₹ 23.77 लाख की रकम का गृहकर नहीं भरा था जिसके परिणामस्वरूप एक से 15 वर्ष की अवधि के दौरान बकाया राशि में बढ़ौतरी हुई। इससे इंगित हुआ कि उपर्युक्त नियम के अनुसार बहु-वर्षों हेतु बकाया किराया से अंतर्ग्रस्त मामलों पर कार्यवाही करने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी। सचिवों ने बताया (सितम्बर 2016-मार्च 2017) बकाया कर की वसूली की जाएगी। आगे यह बताया गया कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और वसूली हेतु प्रयास किए जाएगें।

[16] नगरपालिका परिषद: चम्बा: ₹ 2.15 लाख तथा नगरपिालकापरिषद पालमपुर: ₹ 13.75 लाख।

4.5.2 किराए की वसूली न करना

16 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों/बूथों/स्टालों से ₹ 7.30 करोड़ राशि के देय किराए की वसूली बकाया रही/

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (i)(ख)(2) में प्रावधान है कि यदि नगरपालिका को देय किसी भी राशि का 15 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता है, तब अधिशाषी अधिकारी/सचिव सम्बंधित व्यक्तियों को डिमांड नोटिस दे सकता है।

यह पाया गया कि 16 शहरी स्थानीय निकायों में, एक अप्रैल 2015 तक इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वाधिकार की दुकानों/स्टालों के निर्धारितियों के विरूद्ध ₹ 6.91 करोड़ राशि के किराया प्रभार वसूली हेतु लम्बित थे **(परिशिष्ट-20)**। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान इन दुकानों/स्टालों के किरायेदारों/पट्टेदारों से ₹ 5.08 करोड़ की मांग उठाई गई थी। ₹ 11.99 करोड़ की कुल मांग के प्रति मार्च 2016 तक ₹ 4.69 करोड़ की वसूली की गई थी तथा ₹ 7.30 करोड़ की वसूली लम्बित थी। शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस दिए गए थे और शीघ्र ही राशि की वसूली की जाएगी।

4.5.3 मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली न करना

15 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 34.06 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को मोबाइल संचारण टावरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 10,000 प्रति टावर की दर पर शुल्क और ₹ 5,000 की दर पर वार्षिक नवीनीकरण फीस का उद्ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया है (अगस्त 2006)।

15 शहरी स्थानीय निकायों में, 2004-16 के दौरान मोबाइल टावर प्रतिष्ठापित किए गए थे लेकिन मार्च 2016 तक सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने 258 टावरों के सम्बंध में ₹ 34.06 लाख के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की थी **(परिशिष्ट-21)**। इससे शहरी स्थानीय निकाय राजस्व में अपने देय हिस्से से वंचित रहे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि शीघ्र ही देयों की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

4.5.4 स्वच्छता/सफाई कर, रेहड़ी तहबाजारी शुल्क और व्यापार कर की वसूली न करना

चार शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता/सफाई कर, रेहड़ी, तहबाजारी शुल्क तथा व्यापार कर की वसूली में विफल रहे, परिणामतः ₹ 53.84 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 66 में प्रावधान है कि नगरपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी टोल, कर या शुल्क जैसे कि स्वच्छता कर, रेहड़ी/तहबाजारी शुल्क, व्यापार कर आदि लगाने का अधिकार है।

(i) दो नगरपालिका परिषदों (नाहन व परवाणू) की नमूना-जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 60.73 लाख की स्वच्छता/सफाई कर की कुल मांग के प्रति सितम्बर 2016 तक मात्र ₹ 12.89 लाख (21 *प्रतिशत*) की वसूली की गई थी तथा ₹ 47.84 लाख[17] लाख की राशि शेष बकाया थी। अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016 से अक्तूबर 2016) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी कर बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) नमूना जांच में पाया गया कि दो शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका परिषद, चम्बा व नगर निगम, शिमला) में मार्च 2016 तक रेहड़ी/तहबाजारी शुल्क ₹ 2.62 लाख[18] शेष वसूली के लिए बकाया था। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (जनवरी 2017) कि चूककर्त्ताओं को तहबाजरी शुल्क वसूलने के लिए नोटिस जारी किए जा

[17] नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 36.89 लाख तथा नगपालिका परवाणू; ₹ 10.95 लाख।

[18] नगरपालिका परिषद, चम्बा: ₹ 1.11 लाख तथा नगर निगम, शिमला: ₹ 1.51 लाख

चुके हैं। आगे बताया गया कि कुछ मामले अदालत में निर्णय के लिए लम्बित है और चूककर्त्ताओं से निर्णयानुसार वसूली की जाएगी।

(iii) नमूना जांच की गई दो नगरपालिका परिषदों (नाहन व परवाणू) में मार्च 2015 तक ₹ 2.77 लाख का व्यापार कर वसूली हेतु बकाया था। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापारियों के विरूद्ध ₹ 0.83 लाख राशि की मांग उठाई गई। मार्च 2016 तक ₹ 3.60 लाख राशि की कुल मांग के प्रति ₹ 0.22 लाख राशि की वसूली की गई जबकि ₹ 3.38 लाख[19] राशि का व्यापार कर शेष छोड़ दिया गया। नगरपालिका परिषदों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016-अक्तूबर 2016) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और राशि की वसूली जल्द ही कर ली जाएगी।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न करों की वसूली न होने से राजस्व से वांचित रह गए, जिसका उपयोग अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था।

4.5.5 पट्टे (लीज) की राशि की वसूली न करना

दुकानों तथा स्टालों से पट्टे (लीज) की राशि की वसूली में नगर निगम शिमला की असफलता के कारण ₹ 53.64 लाख के राजस्व की हानि।

वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान, नगर निगम, शिमला ने 153 किराएदारों को दुकाने/स्टाल पट्टे (लीज) पर दी थी। यह पाया गया कि मार्च 2015 तक 153 दुकानों तथ स्टालों पर बकाया ₹ 32.89 लाख की पट्टे की राशि की वसूली लम्बित रही। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 67.88 लाख की मांग उठाई गई। मार्च 2016 तक ₹ 100.77 लाख की कुल मांग के प्रति ₹ 47.13 लाख की वसूली की गई जबकि ₹ 53.64 लाख की वसूली लम्बित छोड़ दी गई।

अधिशाषी अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जनवरी 2017) कि पट्टे की राशि की वसूली ना होने का मुख्य कारण स्टॉफ की कमी थी।

4.5.6 गृहकर न लगाना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 65 में प्रावधान है कि नगरपालिका परिषद किसी भवन तथा भूमि के वार्षिक मूल्य में 7.5 *प्रतिशत* से अधिक व 12.5 *प्रतिशत* से कम का गृहकर लगा सकती है।

नगरपालिका परिषद, बद्दी के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगरपालिका परिषद, अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, रास्ते, स्ट्रीट लाईट्स, सफाई, कचरे का संग्रहण आदि जैसी गृह सम्बंधी विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहा है, परंतु उपर्युक्त सुविधाओं के क्रम में नगरपालिका परिषद उचित गृहकर नहीं लगा रहा (नहीं ले रहा)। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2016) कि घरों का संचालन न होने के कारण गृहकर नहीं लगया गया था तथा सम्पत्ति कर लगाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सम्पत्ति कर सर्वेक्षण की तैयारी चल रही थी।

4.5.7 नगर निगम शिमला द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली न करना

पट्टेदारों से ₹ 1.77 करोड़ सम्पत्ति कर की वसूली ना करने के कारण नगर निगम शिमला अपने हिस्से के राजस्व से वंचित रह गया।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 90(1) में प्रावधान है कि मुख्य रूप से भूमि व भवनों के स्वामी/मालिक पर कर लगाए जाए तथा मालिक की अनुपस्थिति में किराएदारों सहित कब्जेधारी से कर वसूला जाए।

[19] नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 1.15 लाख तथा नगरपालिका परिषद परवाणू: ₹ 2.23 लाख।

नगर निगम शिमला के आंकड़ों की नमूना जांच से उजागर हुआ कि हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन व विकास प्राधिकरण (पट्टादाता) और मैसर्ज सी0के0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पट्टेदार) के मध्य 12 अक्तूबर 2011 में शिमला में टूटीकंडी बस टर्मिनल परियोजना के अंतर्गत डिजाईन, वित्त, निर्माण, कार्यान्वयन तथा परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रोजेक्ट-साईट सब-लीज डीड (परियोजना स्थल उप-पट्टा विलेख) बनाई गई थी। उक्त विलेख (डीड) के खण्ड 17 में लिखा है कि भूमि और संरचना के पट्टे की अवधि के दौरान राज्य सरकार व नगरपालिका समितियों द्वारा लगाए गए सभी करों का भुगतान करने के लिए पट्टेदार उत्तरदायी होगा।

जांच में आगे उजागर हुआ कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान पट्टेदार के विरूद्ध नगर निगम शिमला ने ₹ 1.77 करोड़ का सम्पत्ति कर बिल उठाया था परंतु जनवरी 2017 तक सम्पत्ति कर की वसूली लम्बित रही। नगर निगम शिमला द्वारा कर की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 124 में उल्लेखित कोई प्राथमिक क्रिया नहीं की। आयुक्त, नगर निगम ने बताया (जनवरी 2017) कि पट्टेदार ने इस अवलोकन के साथ बिल वापस कर दिया था कि यह (अचल सम्पत्ति) परिसर का मालिक नहीं था और मामला संभागीय आयुक्त शिमला मण्डल के समक्ष लम्बित है। यद्यपि सम्पत्ति कर की वसूली न होने से उक्त समयावधि में नगर निगम शिमला अपने हिस्से के राजस्व से वंचित रह गया।

4.6 निधियों का अवरोधन

4.6.1 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

10 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों को आरम्भ न किए जाने तथा अपूर्ण कार्यों के कारण ₹ 4.39 करोड़ की निधियां अवरूद्ध रही।

(i) सात शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2006-16 के दौरान 104 विकास कार्यों[20] जैसे दीवारों, रोगी वाहन सड़कों सीवर लाईन, सामुदायिक केन्द्र पार्किंग स्थलों का निर्माण व रास्तों की मरम्मत आदि के निष्पादनार्थ ₹ 2.46 करोड़ राशि की निधियां उपलब्ध थी। ये कार्य छः माह से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरे करने है। तथापि, जनवरी 2017 तक इन निधियों में से कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अपेक्षित लाभों से वंचित रह गए। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016-मार्च 2017) कि भूमि विवाद, संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि संहिताबद्ध औपचारिकताएं, कार्यों की संस्वीकृति तथा निधियों की अवमुक्ति के पूर्व ही पूर्ण की जानी चाहिए थी।

(ii) सात शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2005-06 से 2015-16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पार्किंग स्थलों का निर्माण, रास्ते, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रकाश की स्थापना आदि जैसे 47 विकास कार्यों हेतु ₹ 3.84 करोड़ राशि की निधियां प्राप्त की गई थी इन कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था। जनवरी 2017 तक शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन निधियों में से ₹ 1.91 करोड़ उपयोग में ले लिए गए तथा ₹ 1.93 करोड़[21] की निधि (50 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रही। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (अक्तूबर 2016-जनवरी 2017) कि भूमि विवाद न्यायालयीन मामलों और उचित भू-खण्ड की अनुपलब्धता के कारण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका। तथापि तथ्य यह रहा कि कार्य अपूर्ण रहा तथा निधियां अप्रयुक्त रही व उचित भू-खण्ड की उपलब्धता का कार्यों की संस्वीकृति और निधियां अवमुक्त किए पर्व सुलझाया जाना था।

---

20 नगर निगम, शिमला: ₹ 165.19 लाख (53 कार्य), नगरपालिका परिषद नूरपुर: ₹ 8.04 लाख (07 कार्य); नगरपालिका परिषद चम्बा: ₹ 16.61 लाख (07 कार्य); नगरपालिका परिषद ऊना: ₹ 14.58 लाख (11 कार्य); नगरपालिका परिषद संतोषगढ़: ₹ 5.15 लाख (02 कार्य); नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 29.65 लाख (21 कार्य) तथा नगरपालिका परिषद परवाणू: ₹ 6.50 लाख (03 कार्य)।

21 नगरपालिका परिषद ऊना: ₹ 10.19 लाख (04 कार्य); नगरपालिका परिषद पावंटा साहिब: ₹ 61.55 लाख (05 कार्य); नगर निगम शिमला: ₹ 43.28 लाख (23 कार्य); नगरपालिका परिषद चम्बा: ₹ 12.67 लाख (11 कार्य); नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 15.35 लाख (01 कार्य); नगरपालिका परिषद पालमपुर: ₹ 8.16 लाख (01 कार्य) तथा नगर पंचायत तलाई: ₹41.53 लाख (02 कार्य)।

4.6.2 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का अवरोधन

नगरपालिका परिषद श्री नैना देवी जी को निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला ने 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 93.23 लाख की राशि प्रदान की (जनवरी 2014)। वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह निधियां तीन क्षेत्रों अर्थात् पार्किंग स्थल (₹ 35.00 लाख) ड्रेनेज (जल निकास) (₹ 25.00 लाख) और अपशिष्ट प्रबंधन (₹ 33.23 लाख) में प्रयुक्त की गई।

अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि नगरपालिका परिषद, श्री नैना देवी जी ने ₹ 93.23 लाख के पूरे विशेष अनुदान का, जनवरी 2017 तक उपयोग नहीं किया था। खड़े हुए पेड़ों को काटने की अनुमति चाहने के कारण चयनित स्थानों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका, श्री नैना देवी जी को ड्रेनेज (जल निकासी) अपशिष्ट प्रबंधन हेतु दी गई निधियों को खर्च किए जाने की आवश्यकता थी यद्यपि संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण निर्धारित समायावधि में प्रयुक्त नहीं की जा सकी। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2017) कि संहिताबद्ध औपचारिकताओं के चलते अनुदान का प्रयोग नहीं किया जा सका व स्टॉफ की कमी के कारण शुरू हुआ कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

4.6.3 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का अवरोधन

14वें वित्त आयेाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष कारणों हेतु शहरी तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त अनुदान उन निधियों के प्राप्त होने के छः माह के भीतर प्रयोग में ले लिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान नगर पंचायत दौलतपुर चौक में 14वें वित्त आयोग के तहत ₹ 11.52 लाख की राशि प्राप्त की गई। दिसम्बर 2016 तक सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त रही क्योंकि नगर पंचायत समय पर अनुमानों को अंतिम रूप देने में विफल रही। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि परियोजना अधिकारी, संभागीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डी0आर0डी0ए0) ऊना द्वारा योजनाओं के संस्वीकृत अनुमानों का इंतजार किए जाने के कारण राशि अप्रयुक्त रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी और निधियों का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर हो जाना था।

4.6.4 सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त निधियों का अवरोधन

वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना-जांच की गई तीन शहरी स्थानीय निकायों[22] को सीवरेज योजनाओं के निष्पादन हेतु शहरी विकास विभाग ने ₹ 1.80 करोड़ राशि की निधियां प्रदान की थी। यह निधियां सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों में उनकी सीवरेज योजनाओं के आवश्यकतानुसार निष्पादन हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को आगे अवमुक्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2017 तक सीवरेज योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया था तथा ये निधियां या तो सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के बैंक खाते में जमा थी (नगर पंचायत, गगरेट के मामल में) या नगरपालिका परिषदों (नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब तथा ऊना) के बचत बैंक खाते में भी परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध रही। सीवरेज योजना के अनिष्पादित होने के कारण न तो अभिलेखों में उपलब्ध है, न ही सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किसी को सौंपा गया। यद्यपि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी व सचिव ने बताया (नवम्बर 2016 से जनवरी 2017) कि सीवरेज योजना के कार्य को शुरू करने के लिए सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से इस मामले पर बात की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियां, जारी होने की तारीख में दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अनुपयोगी पड़ी रही, इसके अलावा अपेक्षित लाभ भी नहीं हुआ।

---

[22] नगर पंचायत गगरेट: ₹ 100.10 लाख; नगरपालिका परिषद पावंटा साहिब: ₹ 69.39 लाख तथा नगरपालिका परिषद ऊना ₹ 10.97 लाख।

4.7 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

वर्ष 1988-89 से 2016-17 के दौरान तीन नगरपालिका परिषदों ने पूर्ण अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹ 18.84 लाख के अस्थाई अग्रिम संस्वीकृत किए थे।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189(1) से (4) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष सामान की खरीददारी अथवा सेवाएं किराये पर लेने हेतु अथवा किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य हेतु, जैसा कि निर्धारित है, सरकारी कर्मचारी को अग्रिमों की संस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत है। नियम में आगे प्रावधान है कि समायोजन हेतू बिल सहित शेष, यदि कोई है, अग्रिम के आहरण से 15 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए। दूसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक सम्बंधित सरकारी कर्मचारी ने प्रथम अग्रिम का समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 1988-89 तथा 2016-17 के दौरान दस सरकारी कर्मचारियों/लोक निर्माण विभाग को तीन नगरपालिका परिषदों (बद्दी, चम्बा व ऊना) में विकास कार्यों उत्सव-समारोह तथा चुनावी व्यय, खरीददारी आदि के लिए संस्वीकृत किया गया ₹ 18.84 लाख का अस्थाई अग्रिम जनवरी 2017 तक एक से 29 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए **(परिशिष्ट-22)** समायोजन हेतु लम्बित था। पूर्व अग्रिमों का समायोजन किए बिना अनुवर्ती अग्रिम दिए जा रहे थे। आगे, कुछ अधिकारी, पूर्ण अग्रिमों का समायोजन किए बगैर ही अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किए जा चूके थे। नगरपालिका परिषद, चम्बा में एक अधिकारी अपनी सेवाओं में सेवानिवृत्त हो गए थे, परंतु अप्रैल 1994 तथा अक्तूबर 2016 के मध्य उन्हें अग्रिम रूप में दी गई ₹ 9.27 लाख की अग्रिम निधि के समायोजन बिलों का भुगतान उनके सेवानिवृत्ति समय पर न विभाग द्वारा न उनके द्वारा किया गया यह उचित रूप से अग्रिमों के समायोजन हेतु संहिताबद्ध प्रावधानों को लागू करने में नगरपालिका परिषदों की शिथिलता को दर्शाता है।

(इन्द्रदीप सिंह धारीवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: